कार्यालय : मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

संख्या : 2214 / पूर्णता पत्र / म0वृ0वि0प्रा0 / 2018–19 दिनांक: 23-2-2019

श्री आर0सी0 गोयल, डायरेक्टर
मै0 एक्सप्रेस टावर प्रा0लि0,
हरेकृष्णा आर्चिड
एम–33, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश–1,
नई दिल्ली–110048

विषयः–मानचित्र संख्या 266 / वी / 10–11 (हरेकृष्णा आर्चिड कालोनी) में ब्लाक–बी का पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आपके द्वारा दिये गये पूर्णता प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2019 के क्रम में परीक्षणोपरान्त उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15–क (2) के अन्तर्गत उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 11.02.2019 के क्रम में निम्न शर्तो के अनुसार ब्लाक–बी का पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:–

1– विकासकर्ता को दक्षिणाचंल विद्युत विभाग वितरण निगम, मथुरा के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा एवं विद्युत विभाग को हस्तान्तरित करना होगा ।

2– विकासकर्ता को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को निरन्तर अनुरक्षण करते हुए सुचारू रखा जायेगा ।

3– विकासकर्ता को कालौनी के रख–रखाव सम्बन्धित समस्त कार्य वेलफेयर एसोसियेशन बनाकर कालौनी को एसोसियेशन / स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करनी होगी ।

4– विकासकर्ता को अग्नि शमन विभाग द्वारा निर्गत की गयी कम्पलीशन प्रमाण पत्र की समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा ।

5– सुरक्षा के दृष्टिगत लिफ्ट के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में सक्षम विभाग से नियमित रूप से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

6– ग्रुप हाउसिंग ब्लाक–बी का पार्ट कम्पलीशन जारी किया जा रहा है । ग्रुप हाउसिंग ब्लाक–बी एवं कालोनी के समस्त निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण करते हुए सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र पृथक से प्राप्त करना होगा । यह भी स्पष्ट करना होगा कि ब्लाक–बी के सिंगल बेसमेन्ट भाग के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र पर विचार किया जा रहा है । डबल बेसमेन्ट भाग ब्लाक–बी का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र पृथक से प्राप्त करना होगा ।

प्रभारी मानचित्र
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा ।

प्रतिलिपि :– सचिव महोदय, म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा को सूचनार्थ ।

प्रभारी मानचित्र
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा ।

F:\Latter\RBOC Completion Letter.doc